भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2890
(06.08.2025 को उत्तर के लिए)

केंद्र और राज्य सरकारों को परिपत्र

2890. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों और राज्यों के केन्द्रीय विभागों को संसद सदस्यों द्वारा भेजे गए पत्रों को पावती देने और संबंधित संसद सदस्यों को समयबद्ध तरीके से उत्तर देने के लिए कोई परिपत्र जारी किया है और यदि हां, तो पत्रों की प्रतियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या सरकार का इस संबंध में कोई सख्त दिशा-निर्देश जारी करने का विचार है ताकि अधिकारी संसद सदस्यों द्वारा लिखे गए पत्रों के संबंध में गंभीरता से कार्य करें और यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख): सरकार ने, भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में, केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (सीएसएमओपी) के अंतर्गत सचिवालयी कार्य को निर्धारित किया है, जिसमें संसद सदस्यों के पत्रों की समय पर पावती और उनका उत्तर देने के संदर्भ में दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल उल्लेखित हैं। ये दिशानिर्देश https://darpg.gov.in/relatedlinks/csmop पर उपलब्ध हैं, सीएसएमओपी, 2022 के 16वें संस्करण के अध्याय 8 के पैरा 8.9 में संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का उत्तर देने की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसके अलावा, सीएसएमओपी, 2022 के अध्याय 12 के पैरा 12.3 में यह निर्धारित किया गया है कि संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13 सितंबर, 2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/14/2022-स्था.ए-III के माध्यम से प्रशासन, संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के साथ आधिकारिक पत्राचार - इस संबंध में, उचित प्रक्रिया का अनुपालन - के संबंध में समेकित दिशानिर्देश जारी किए गए थे। (https://dopt.gov.in/sites/default/files/Official_dealing_consolidation13092022.pdf)

******